न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 10/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/11

प्रार्थी :–		**अप्रार्थी :–**
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा	**बनाम**	श्रीमती गुलाब/ मांगीलाल भगोरा, प्रोपराईटर बेनाम नाश्ता सेन्टर, कलिंजरा, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि — अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 19–03–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्व दिनांक 07.10.2024 द्वारा दिये गये निर्देशो के तहत दिनांक 12.12.2024 को कलिंजरा में स्थित बेनाम नाश्ता सेन्टर की जांच उसके प्रोपराईटर श्रीमती गुलाब की उपस्थिति में श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री सुनिल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	314703	24.000	15.700	8.300

श्रीमती गुलाब द्वारा व्यव[illegible]र के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया [illegible] ही [illegible] प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलू [illegible]डर का व्यवसायिक उप[illegible] अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्र[illegible] का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस बागीदौरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रमेश/ लालेंग को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 19.03.2025 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मरे द्वारा कोई व्यवसाय या कारोबार नही किया जाता है न ही अवैध भण्डारण किया है। जब्तशुदा 1 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नही है। बहस के दौरान अप्रार्थी द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 12.12.2024 को कलिंजरा में स्थित बेनाम नाश्ता सेन्टर की जांच उसके प्रोपराईटर श्रीमती गुलाब की उपस्थिति में श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री सुनिल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्रीमती गुलाब द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस बागीदौरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रमेश/ लालेंग को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:51 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 19–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner